कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला।

पत्रांक 1052(11) /अभि0 ,दिनांक - 05-12-2006

प्रेषक,

उपायुक्त,
गुमला।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,
एन0आर0ई0जी0एस0
–सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
गुमला–जिला।

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के अन्तर्गत योजना का चयन स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिले में 2 फरवरी 2006 से लागू हो चुकी है। योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त किस्त की राशि का 50 प्रतिशत् अंश की राशि का वितरण जिले के 159 पंचायतों में किया जा चुका है।

अधोहस्ताक्षरी / प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसा पाया गया है कि कुछेक पंचायतों में नरेगा के मार्गदर्शिका के अनुरूप योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन नहीं कराया जा रहा है अतः उक्त के आलोक में योजना के चयन, स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के संबंध में निम्नांकित स्थायी आदेश दिये जाते हैं:–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मूलतः रोजगार प्रदायी योजना है अतएव इसके अन्तर्गत ऐसी योजना का चयन किया जाना है जिसमें मजदूरी : सामग्री अनुपात 60:40 हो ।

2. योजना के मार्गदर्शिका के अनुसूची 1 के अनुसार निम्न प्रकार की योजनाऍ ली जा सकेंगी :–

(अधिनियम के अनुसूची 1 के अनुसार ली जाने वाली योजनाऐं)

ए) जल संरक्षण एवं संवर्द्धन :–

क) छोटे एवं कम लागत के चेक डैम का निर्माण

ख) सिंचाई नाला निर्माण

ग) तालाब, वाटर हारभेसटिंग टैंक, रिचार्ज पिट (डोभा) आदि

घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सीमान्त एवं लघु कृषकों की रैयती भूमि पर सिंचाई नाला, रिचार्ज पिट आदि का निर्माण

ड़) पारम्परिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार

बी) सुखाड़ निवारण के तहत् वानिकीकरण एवं वृक्षारोपण :–

क) वन भूमि, खाली सरकारी भूमि एवं पंचायत की सार्वजनिक टांड भूमि पर जलावन, फलदार एवं औषधीय वृक्षारोपण, इमारती लकड़ी हेतु वृक्षारोपण, जेट्रोफा की खेती आदि।

ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सीमान्त एवं लघु कृषकों की रैयती भूमि पर वानिकीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य

सी) भूमि विकास :– सार्वजनिक एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सीमान्त एवं लघु कृषकों की रैयती भूमि पर

डी) सम्पर्क पथ :– मिट्टी मोरम एवं ग्रेड I पथ निर्माण (आवश्यक कलभर्ट सहित), सम्पर्क विहीन ग्राम एवं टोलों के लिए पथ निर्माण।

3. यदि किसी ग्राम में योजना चल रही है तो उस ग्राम में नई योजना का कार्य प्रारंभ तभी किया जाएगा जब पुरानी योजना अंतिम चरण में हो ।

4. योजनाओं के चयन,स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में इस प्रकार का समन्वय रखा जाएगा ताकि किसी भी गॉव में कोई न कोई योजना अवश्य चलती रहे ।

5. कंडिका 2 में उल्लिखित योजनाओं में से 1.00 लाख (मो0 एक लाख) रू0 से कम प्राक्कलित राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारी –सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी देंगे एवं योजनाओं की सूची अधोहस्ताक्षरी/उप विकास आयुक्त को तीन दिनों के अन्दर सूचनार्थ समर्पित करेंगे । एक लाख रू0 से अधिक की सभी पंचायत स्तरीय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तकनीकी स्वीकृति के साथ अभिलेख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला में समर्पित किया जाएगा। पंचायतवार उपलब्ध राशि के सवागुणा राशि के समतुल्य राशि की योजनाएँ दीर्घलक्षी कार्ययोजना से ली जा सकेंगी ।

6. पंचायत समिति एवं जिला स्तरीय योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी स्वीकृति के साथ अभिलेख अधोहस्ताक्षरी से प्रशासनिक अनुमोदन हेतु ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला में समर्पित किया जाएगा।

7. एक लाख रू0 से लेकर पॉच लाख रू0 तक की योजनाओं का कार्यान्वयन प्रखण्ड स्तर से कराया जाएगा । पॉच लाख रू0 से अधिक की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी का निर्धारण जिला स्तर से किया जाएगा ।

8. प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारी योजनाओं की स्वीकृति के पूर्व योजना स्थल का निरीक्षण करेंगे एवं योजना की उपयोगिता के संबंध में संतुष्ट होकर ही योजना की स्वीकृति देंगे। यदि योजनाओं के चयन एवं स्वीकृति में स्थापित नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो सरकारी राशि के दुरूपयोग की सारी जिम्मेवारी प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारी की होगी ।

9. प्रत्येक स्तर पर योजनाओं का चयन एन0आर0ई0जी0एस0 के अन्तर्गत तैयार की गई दीर्घलक्षी योजना से किया जाएगा ।

10. योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार लाभुक समिति/स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा । महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

11. पंचायत स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चयनित लाभुक समिति/स्वयं सहायता समूह एवं निगरानी समिति का विवरण पंजी में संधारित किया जाएगा एवं विवरण की प्रतिलिपि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा ।

12. पंचायतवार/ग्रामवार योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन मार्गदर्शिका के एनेक्चर में मुद्रित विहित प्रपत्र में योजनावार अभिकरण कार्यालय को समर्पित किया जाएगा ।

13. चूँकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार का विलय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हो चुका है अतः पूर्व से पंचायतों में अवशेष राशि से कोई नयी योजना नहीं ली जाएगी। अवशेष राशि से योजनाओं की स्वीकृति एन0आर0ई0जी0एस0 के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाएगा ।

14. एन0आर0ई0जी0एस0 के अन्तर्गत ली गई योजनाएँ निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाएंगी । कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के अन्दर यदि कार्य पूर्ण नहीं

किया जाता है, तो कुल प्राक्कलित राशि का 1 प्रतिशत कटौती कर लिया जायेगा। यदि निर्धारित तिथि के बाद एक माह से अधिक दिनों तक योजना लंबित रहती हैं, तो कुल प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत कटौती कर लिया जायेगा। कार्य पूर्णता की तिथि के बाद यदि दो माह तक योजना पूर्ण नहीं होती हैं तो इसे कार्यान्वयन एजेंसी की अक्षमता माना जाएगा तथा उसे एवं दोषी लाभुक समिति/स्वयं सहायता समूह को भविष्य में किसी भी कार्य के कार्यान्वयन में शामिल नहीं किया जायेगा।

15. योजना हेतु छोटे एवं मध्यम (लघु और सीमांत) तबके के किसानों और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों की भूमि का अधिग्रहण अथवा उसे दान नहीं दिया जा सकता । सरकारी भूमि के अतिरिक्त बी0पी0एल0 किसानों की निजी भूमि पर कार्यों को लिया जा सकता है और इसमें प्राथमिकता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन किसानों को दी जाय जो गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं । योजना में कार्यारंभ से पूर्व स्थल के वर्त्तमान स्थिति का फोटोग्राफ अभिलेख में संधारित करना आवश्यक होगा । कार्यारंभ से पूर्व योजनावार अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन लेना आवश्यक होगा कि संबंधित योजना में कोई रैयती अथवा गैर–सरकारी भूमि सन्निहित नहीं है । कार्यारंभ के पश्चात भूमि संबंधी विवाद होने पर इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी ।

16. कार्यारम्भ से पूर्व योजना स्थल की वर्त्तमान **स्थिति का फोटोग्राफी एवं विवरणी अभिलेख में दर्ज** करना अनिवार्य होगा।

17. यदि किसी योजना में वन क्षेत्र की भूमि सन्निहित हो, तो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके ही कार्यारम्भ करें। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण विभाग,झारखंड सरकार,रॉची के पत्रांक 1985 दिनांक 04.05.2006 एवं 2001 दिनांक 04.05.2006 में अकिंत निदेशों का पालन किया जाएगा ।

स्वयं सहायता समूह/लाभुक समिति के संबंध में निदेश

18. योजना के कार्यान्वयन हेतु एजेंसी चयन में स्वयं सहायता समूहों/लाभूक समिति का चयन किया जाएगा जिसमें केवल स्वच्छ छवि वाले ग्रामीणों को रखा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं किया जाय, जिनके विरूद्ध कोई फौजदारी मामला विचाराधीन है। बेहतर कियान्वयन हेतु किसी लंबित योजना के स्वयं सहायता समूह/लाभुक समिति के सदस्य अथवा उनके निकट संबंधी को दूसरी योजना के समिति का सदस्य नहीं बनाया जाय। स्वयं सहायता समूहों के चयन में महिला समूह को प्राथमिकता दी जाएगी ।

19. योजना कार्यान्वयन हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। ग्राम सभा ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एवं ग्राम कोषाध्यक्ष, पंचायत सचिव , कार्यपालक अभियन्ता संबंधित सहायक अभियन्ता या पंचायत के प्रभारी पर्यवेक्षक की उपस्थिति में योजना स्थल पर सार्वजनिक रूप से किया जाएगा । किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान, भवन या कार्यालय में नहीं किया जायेगा। ग्राम सभा की पूर्व सूचना गांवों में डुगडुगी – ढोल पिटवाकर दी जाएगी ।

20. ग्राम सभा द्वारा चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभुक समिति अपने बीच में से दो व्यक्तियों ,एक अध्यक्ष एवं दूसरा सचिव का चयन करेगी। ये दोनों व्यक्ति संयुक्त रूप से स्थानीय बैंक की शाखा में अपना खाता खोलेगें। योजना के निर्माण हेतु अग्रिम की राशि रेखाकिंत चेक द्वारा इन दोनों व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम से उपलब्ध कराया जायेगा। इस राशि को बैंक खाते में जमा कराकर योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा। योजना का

कार्यान्वयन किसी भी परिस्थिति में बिचौलिए / ठीकेदार या विभागीय रूप में नहीं किया जायेगा।

21. लाभुक समिति के अध्यक्ष या सचिव में से एक सदस्य अनिवार्य रूप से महिला होंगी।

22. लाभुक समिति को अग्रिम पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या 7722, दिनांक 5.8.97 के अनुरूप ही दिया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मापदण्ड से अधिक अग्रिम देने पर प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी –सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रभारी मुखिया/पंचायत सेवक पूर्ण रूप से जबाबदेह होगें एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

निगरानी समिति संबंधी निदेश :–

23. योजना के कार्यान्वयन हेतु जिस ग्राम में कार्य चल रहा है, उस ग्राम की ग्राम सभा द्वारा 5 से 9 सदस्यीय निगरानी समिति चुनी जायेगी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सदस्यो को प्राथमिकता दिया जायेगा। निगरानी समिति में सामाजिक कार्यकर्त्ता, सेवानिवृत सरकारी, गैर–सरकारी एवं प्रतिरक्षा सेवा के पदाधिकारी एवं अन्य सेवा निवृत कर्मचारी, बुद्धिजीवियों तथा उस गांव के स्वयं सहायता समूह का चयन निगरानी समिति में किया जायेगा। इन 5 से 9 सदस्यों में से कम से कम एक–एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से तथा एक महिला होगी। यदि उस ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य होगी, तो उसके स्थान पर अन्य किसी भी जाति के सदस्य का चयन होगा। यह समिति मजदूरों के मजदूरी भुगतान, मस्टर रौल के संधारण एवं योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखेगी। मस्टर रौल का सत्यापन निगरानी समिति के सदस्यों से निश्चित रूप से कराया जायेगा। निगरानी समिति किसी प्रकार की अनियमितता या प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं होने पर कार्रवाई करेगी तथा अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करेगें। निगरानी समिति द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा, जिसे अभिलेख में संलग्न करने के पश्चात् ही अभिलेख बन्द किया जायेगा।

पारदर्शिता संबंधी निदेश

24. योजना प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य स्थल पर एक सीमेंटेड सूचना पट्ट (डार्क नेभी ब्लू में सफेद अक्षर से) रहेगा जिसमें निम्नांकित विवरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

1	कार्य का नाम	5	योजना में कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी दर
2	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि	6	चयनित स्वयं सहायता समूह/लाभुक समिति का नाम एवं पता
3	योजना की प्राक्कलित राशि	7	चयनित निगरानी समिति का नाम एवं पता
4	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	8	प्रभारी सहायक अभियंता / कनीय अभियंता का नाम

25. लाभुक समिति के चयन हेतु सार्वजनिक स्थल पर ग्राम सभा की सूचना निर्धारित तिथि से कम–से–कम तीन दिन पूर्व से ढोल पिटवाकर दिया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा।

26. एक लोक–प्रिय स्थानीय समाचार–पत्र में कम से कम एक सप्ताह पूर्व ग्राम सभा आयोजन की तिथि एवं समय की सूचना योजनावार प्रकाशित करायी जायेगी।

27. 50,000/– (पचास हजार) रूपये से अधिक की सभी योजना हेतु आयोजित होने वाली ग्राम सभा की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करवाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा के कार्यवाही संबंधी फोटोग्राफ या विडियो फिल्म अभिलेख का हिस्सा होगा। कार्यहित में एक गॉव की सभी स्वीकृत योजना हेतु एक ही साथ ग्राम सभा करवाया जायेगा।

28. 50,000/– (पचास हजार) रूपये से कम की योजना हेतु आयोजित ग्राम सभा का फोटोग्राफी लिया जायेगा, जो अभिलेख के साथ संलग्न रहेगा।

29. ग्राम सभा की कार्यवाही लिपिबद्ध की जाएगी जो संबंधित अभिलेख में संलग्न रहेगा।

30. योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 196/2001 मामलें में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

31. योजना के स्थल की वर्त्तमान स्थिति का फोटोग्राफी भी अभिलेख में संधारित करें।

तकनीकी एवं अन्य निर्देश :–

32. मिट्टी कार्य में सेक्सन मापी के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

33. किसी भी परिस्थिति में मशीन के द्वारा खुदाई कार्य नहीं किया जायेगा।

34. योजनावार स्वीकृत तालाब एवं अन्य योजना के स्थल पर यदि विगत 5 (पॉच) वर्षो में किसी भी सरकारी योजना से कोई कार्य हुआ है, तो उसकी विवरणी अभिलेख पर दर्ज करने के पश्चात् ही कार्यारम्भ किया जाय। इस संबंध में यदि किसी योजना में वहीं कार्य पुनः स्वीकृत हो गया हो, जो पूर्व में भी कराया गया था, तो इसकी सूचना स्वीकृत्यादेश प्राप्ति के 5 (पॉच) दिनों के अन्दर संबंधित कार्यालय/अभिकरण कार्यालय को दी जाय, ताकि योजना को अविलम्ब रद्द किया जा सके।

35. योजनावार मापी पुस्त/बिल पर लीड सत्यापित करते हुए सहायक अभियंता द्वारा प्रमाण–पत्र दर्ज किया जायेगा, जिसके अनुरूप ही ढुलाई मद का व्यय देय होगा।

36. स्वयं सहायता समूह/लाभुक समिति योजना के लिए रोकड़ बही का संधारण करेगें जिसमें किये गये व्यय की पूर्ण विवरणी इस रोकड़ बही में अंकित किया जायगा। रोकड़ बही का निरीक्षण समय–समय पर निगरानी समिति द्वारा किया जा सकता है।

37. योजना में मस्टर रौल अभिकरण से निर्गत निर्धारित प्रपत्र में संधारित किया जायेगा।

38. योजना में निबंधित मजदूरों से कार्य लिया जायेगा जिनके पास उपलब्ध जॉब कार्ड में आवश्यक प्रविष्टियॉ दर्ज करना अनिवार्य होगा ।

39. योजना में अगला अग्रिम देने के पूर्व मस्टर रौल जमा करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में मस्टर रौल एवं सामग्री का अभिश्रव के बिना अगला अग्रिम नहीं दिया जाय। मस्टर रौल एवं सामग्री का अभिश्रव योजना अभिलेख में संलग्न रहेगा, जिसमें मजदूरी भुगतान का पूर्ण व्यौरा अंकित होगा। अ0ज0जा0 /अ0जा0/महिला एवं अन्य श्रेणी के मजदूरों को जिन्हें नियोजित किया जायेगा, उसकी संख्या एवं उनके संबंध में पूर्ण विवरण मस्टर रौल में दर्ज किया जायेगा। मस्टर रौल योजना अभिलेख के अलावा अलग से या अन्य कहीं नहीं रखा जाय। सभी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

40. योजना स्थल पर योजना का रोकड़ बही एवं साईट बुक रहेगा। साईट बुक में जिस पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा, उनकी निरीक्षण टिप्पणी अंकित की जायेगी।

41. योजना का निरीक्षण कनीय अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत के पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार समय–समय पर किया जायेगा। योजना में अग्रिम देने की अनुशंसा किसी भी परिस्थिति में कनीय अभियन्ता द्वारा नहीं किया जायगा। उनका काम मात्र योजना की मापी एवं योजना की गुणवता देखने तक ही सीमित रहेगा।

42. योजना में मापी पुस्त पृष्ठांकित रहेगा तथा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी –सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहरित रहेगा और वह संबंधित योजना के अभिलेख के साथ रहेगा। यदि वह मापी पुस्त योजना अभिलेख से अलग किया जाता है तो इसका उल्लेख योजना अभिलेख के उपांत में संबंधित तकनीकी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि वह मापी पुस्त अभिलेख से किस तिथि को अलग किया गया है । मापी पुस्त में मापी दर्ज करने के पश्चात कनीय अभियंता द्वारा वापस किया जाएगा जिसकी तिथि अभिलेख के आदेश पत्रक के उपांत में अकिंत किया जाएगा ।

43. कार्यस्थल पर NREGA के प्रावधानों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, आराम हेतु शेड एवं कार्यरत् माताओं के 0–6 वर्ष के पॉच से अधिक बच्चों पर एक महिला कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति बच्चों की देखभाल हेतु की जायेगी।

44. योजना में मस्टर–रौल की जॉच कंडिका (8) में अंकित सभी पदाधिकारियों प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी एवं निगरानी समिति द्वारा किया जायगा एवं यह सुनिश्चित किया जायगा कि योजनाओं का मस्टर रौल सही रूप से संधारित किया जा रहा है एवं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि फर्जी मस्टर रौल का संधारण नहीं किया जा रहा है।

45. योजना के प्रारम्भ एवं समापन के बीच विभिन्न स्तरों पर किये गये कार्य का फोटोग्राफ संधारित किया जाना अनिवार्य है। योजना में व्यवहृत सामग्रियों के विरूद्ध देय रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती विपत्र से की जायेगी। काटी गई राशि जिला कोषागार में जमा किया जाय। सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी समय–समय पर योजना की प्रगति एवं गुणवता, मस्टर रौल के संधारण एवं उपरोक्त सभी आदेशों के अनुपालन का निरीक्षण करेगें एवं सभी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

आम सभा कराने संबंधी निर्देश

46. योजना स्वीकृति के दो दिनों के अन्दर स्वीकृत्यादेश एवं विमुक्त राशि का चेक कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।

47. कार्यान्वयन एजेंसी स्वीकृत्यादेश प्राप्ति के दूसरे दिन ग्राम सभा आयोजन की तिथि एवं स्थान का प्रकाशन स्थानीय समाचार–पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित करायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम सभा की सूचना ढोल पिटवाकर भी ग्रामीणों को दिया जायेगा। ग्राम सभा आयोजन की सूचना की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाएगी ।

48. स्वीकृत्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सभी योजना हेतु ग्राम सभा आयोजित किया जायेगा।

49. स्वयं सहायता समूह / लाभुक समिति के चयन के पश्चात् दो दिनों के अन्दर एकरारनामा सम्पादित कराया जाएगा । तदुपरांत प्रथम अग्रिम विमुक्त किया जायेगा तथा इसकी सूचना अगले दिन अनिवार्य रूप से अभिकरण कार्यालय को दिया जायेगा। एकरारनामा के पश्चात् दो दिनों के अन्दर कार्यारम्भ कराकर संसूचित किया जायेगा। साथ ही साथ निगरानी समिति का भी चयन कर लिया जाएगा ।

50. यदि कोई ग्राम सभा असफल होती है तो आयोजित होने वाली अगली ग्राम सभा की तिथि तुरंत घोषित कर दी जायेगी। रद्द ग्राम सभा की तिथि से सात दिनों के अन्दर पुनः ग्राम सभा हेतु तिथि निर्धारित करना अनिवार्य होगा।

51. किसी योजना विशेष हेतु आयोजित द्वितीय ग्राम सभा में भी विवाद होने पर संबंधित पदाधिकारी उपस्थित ग्रामीणों विशेषकर प्रबुद्ध ग्रामीणों से वार्त्ता कर उन्हें समझायेंगे कि यदि केवल अभिकर्त्ता चयन के मुद्दे पर यू ही विवाद होता रहा, तो योजना रद्द कर दी जायेगी। फिर भी ग्राम सभा विवादित एवं अनिर्णित रहता है, तो संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम सभा स्थल पर अगले दिन नोटिस चिपका देंगे कि उक्त योजना को रद्द किया जा रहा है और इसकी सूचना दो दिनों के अन्दर अभिकरण कार्यालय को देंगे।

52. प्रत्येक ग्राम सभा में उस ग्राम/टोले के कुल व्यस्क आबादी का 50प्रतिशत आबादी की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा ग्राम सभा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

सामान्य

53. अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है अतएव यह ध्यान रखा जाय कि रोजगार की मॉग करने पर मजदूर को 15 दिनों के अन्दर हर हालत में प्रावधानानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाय ।

54. मजदूर परिवारों के निःशुल्क निबंधन के लिये आवेदन पत्र की सतत् उपलब्धता प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किया जाय । आवेदन सादे कागज पर भी स्वीकार की जाय।

55. निबंधित अकुशल मजदूर परिवारों को जॉब कार्ड ससमय उपलब्ध करा दिया जाय । जॉब कार्ड की पूर्व अधियाचना ससमय अभिकरण कार्यालय को दी जाय ।

56. कुल रोजगार में महिलाओं का न्यूनतम 33% प्रतिनिधित्व अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाय।

57. विकलांग व्यक्ति को उनकी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर काम दिया जाय ।

58. मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किया जाय। किसी भी परिस्थिति में 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुगतेय होगा। न्यूनतम मजदूरी की दर का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

59. 15 दिनों के अन्दर रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता का दावा का प्रावधान है । अतएव रोजगार की मॉग के 15 दिनों के अन्दर रोजगार अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।

उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः से अनुपालन किया जाय।

विश्वासभाजन,

15.12.06

जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एन0आर0ई0जी0एस0
—सह—
उपायुक्त, गुमला।